



राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर



क्रमांक-सं.24-(6)(2)स्था/पदोन्नति/अभि/2021/120-125 दिनांक:- 03.01.2023

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के वर्ष 2021-22 में रिक्त पदों से भरने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्री राजेश कुमार चौधरी पुत्र श्री माधोराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध श्रीमति प्रेमलता ढाबी, अभियोजन अधिकारी, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर (ग्रामीण) जोधपुर के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत परिवाद की जांच हेतु प्रकरण अभियोजन निदेशालय में प्राप्त होने पर आन्तरिक परिवाद समिति, अभियोजन निदेशालय द्वारा प्रकरण में प्रसंज्ञान लिये जाने के कारण इनकी पदोन्नति का निर्णय सीलबन्द लिफाफे में रखा गया। वर्तमान में श्री राजेश कुमार चौधरी पुत्र श्री माधोराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध विचाराधीन परिवाद / शिकायत को प्रमाणित नहीं मानते हुए समाप्त किया गया है।

अतः पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर श्री राजेश कुमार चौधरी पुत्र श्री माधोराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2021-22 में दिनांक 01.04.2021 को उपलब्ध रिक्त के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम 2017 के मैट्रिक्स लेवल-11 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी में श्री श्याम सुन्दर चौधरी पुत्र श्री ईश्वर राम के नीचे व श्री प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण कुमार शर्मा के ऊपर रहेगी। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नति पर उपस्थिति दिनांक से देय होगा। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

— sd —
(युधिष्ठिर शर्मा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
4. उप निदेशक अभियोजन जोधपुर।
5. सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर।
6. संस्थापन अधिकारी, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
7. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा :- सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली संस्थापन शाखा (वरिष्ठ मंत्रालयिक), अभियोजन निदेशालय जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर